न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
10/2020/प्रा.पत्र/2020	13.01.2020	02.09.2021

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री महेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री मदनलाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स मदनलाल महेन्द्र कुमार जैन, अग्रवाल धर्मशाला के पास टोरडी तह. मालपुरा जिला टोंक निवासी गुरूद्वारा रोड देवली जिला टोंक

2– मैसर्स मदनलाल महेन्द्र कुमार जैन, अग्रवाल धर्मशाला के पास टोरडी तह. मालपुरा जिला टोंक

3–श्री रतन कुमार बेलारामाणी पुत्र श्री श्रीनारायण दास प्रोपरायटर मैसर्स ज्योति एन्टरप्राईजेज बापू बाजार मालपुरा जिला टोंक निवासी टेलिफोन एक्सचेंन्ज के पास मालपुरा जिला टोंक

4– मैसर्स ज्योति एन्टरप्राईजेज बापू बाजार मालपुरा जिला टोंक

5–श्री भरत कुमार सुखीजा पुत्र श्री गोरधन दास सुखीजा मैसर्स बीकाजी फूड्स इन्टरनेशनल लिमिटेड एफ/196–199, बिछावल इण्डस्ट्रीयल एरिया बीकानेर राज. निवासी 11/622 मुक्ता प्रसाद नगर बीकानेर राज.

6–मैसर्स बीकाजी फूड्स इन्टरनेशनल लिमिटेड एफ/196–199, बिछावल इण्डस्ट्रीयल एरिया बीकानेर राज.

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थीगण की और से उनके प्रतिनिधि उपस्थित

:–निर्णय–: दिनांक 02.09.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.10.2019 को समय 2.40 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स मदनलाल महेन्द्र कुमार जैन, अग्रवाल धर्मशाला के पास टोरडी तह. मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से महेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री मदनलाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स मदनलाल महेन्द्र कुमार जैन, अग्रवाल धर्मशाला के पास टोरडी तह. मालपुरा जिला टोंक निवासी गुरूद्वारा रोड देवली जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उ[illegible]ा, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका प[illegible]का मालिका होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.29 15:02:28 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **भुजिया नमकीन बीकानेरी पॉली पैक** (Bhujia Namkeen Bikaneri Poly Pack)जिसके बैच नं0 के 19 जे 8601 व पैकिंग दिनांक 14 अक्टूबर 2019 अंकित थी, रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर, विक्रेता श्री महेन्द्र कुमार जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता महेन्द्र कुमार जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे 400–400 ग्राम के 60 पैकेट **भुजिया नमकीन बीकानेरी पॉली पैक** (Bhujia Namkeen Bikaneri Poly Pack)रखे हुये मे से 400–400 ग्राम के 4 पैकेट का चयन कर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री महेन्द्र कुमार जैन को रू0 262/–अक्षरे दो सौ बासठ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **भुजिया नमकीन बीकानेरी पॉली पैक** (Bhujia Namkeen Bikaneri Poly Pack)4 पैकेट 400–400 ग्राम कुल मात्रा 1600 ग्राम को बराबर–बराबर (एक भाग 400–400 ग्राम) अलग–अलग चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बे मे अलग–अलग ज्यो का त्यो रखकर डिब्बो के ढक्कन को अच्छी तरह एयर टाईट बंद कर नियमानुसार चार भाग व चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–2353 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2353 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. महेन्द्र कुमार जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाद्य पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्रीं महेन्द्र कुमार जैन ने मौके पर **भुजिया नमकीन बीकानेरी पॉली पैक** (Bhujia Namkeen Bikaneri Poly Pack)बतोर वारंटी मैसर्स ज्योति एन्टरप्राईजेज बापू बाजार मालपुरा जिला टोंक बिल क्रमांक/इन्वॉइस नं0 321 दिनांक 12.10.2019 की छायाप्रति पेश की। मैसर्स ज्योति एन्टरप्राईजेज से पत्राचार करने पर [illegible] इन्टरनेशनल लिमिटेड एफ/196–199, बिछावल इण्डस्ट्रीयल एरिया बीका[illegible] बिल क्रमांक/इन्वॉइस नं0 एसआईयु 2 ए–1920–17672 दिनांक 25.09.2019 की छायाप्रति पेश की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.29 15:02:28 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./2019/2451 दिनांक 27.11.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/2495/एक्ट/2019/2030 दिनांक 11.11.2019 अनुसार महेन्द्र कुमार जैन से वास्ते नमूना जाच विक्रय किया गया **भुजिया नमकीन बीकानेरी पॉली पैक (Bhujia Namkeen Bikaneri Poly Pack)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1) (zf) (a) (i) (a) & 3(1) (zf) (b) (ii) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का **भुजिया नमकीन बीकानेरी पॉली पैक** (Bhujia Namkeen Bikaneri Poly Pack)का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण अनुपस्थित।अप्रार्थीगण की और से **भुजिया नमकीन बीकानेरी पॉली पैक** (Bhujia Namkeen Bikaneri Poly Pack)का एरिया सेल्स मैनेजर उपस्थित हुआ। मेनेजर द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **भुजिया नमकीन बीकानेरी पॉली पैक** (Bhujia Namkeen Bikaneri Poly Pack)का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **भुजिया नमकीन बीकानेरी पॉली पैक** (Bhujia Namkeen Bikaneri Poly Pack)का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री महेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री मदनलाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स मदनलाल महेन्द्र कुमार जैन, अग्रवाल धर्मशाला के पास टोरडी तह. मालपुरा जिला टोंक निवासी गु[illegible]ड देवली जिला टोंक पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0)अप्रार्थी श्री [illegible] पुत्र श्री श्रीनारायण दास प्रोपरायटर मैसर्स ज्योति एन्टरप्राईजेज [illegible] बाजार मा[illegible] जिला टोंक निवासी टेलिफोन

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.29 15:02:28 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

एक्सचेंन्ज के पास मालपुरा जिला टोंक पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) अप्रार्थी श्री भरत कुमार सुखीजा पुत्र श्री गोरधन दास सुखीजा मैसर्स बीकाजी फूड्स इन्टरनेशनल लिमिटेड एफ/196-199, बिछावल इण्डस्ट्रीयल एरिया बीकानेर राज. निवासी 11/622 मुक्ता प्रसाद नगर बीकानेर राज.पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0)आरोपित की जाती हैअभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 02.09.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.09.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जांकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट • टोंक

2.9.2021

(मुरारी लाल शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.09.29 15:02:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner